न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 285 / 2022 निर्णय दिनांक :–30.01.2023

उनवानी दावा :

1. गोपाल पुत्र हरनाथ जाति धाकड निवासी संग्रामपुरा तहसील देवली, जिला टोंक राज0
2. दुर्गा पुत्र हरनाथ जाति धाकड निवासी संग्रामपुरा तहसील देवली, जिला–टोंक राज।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र भंवरलाल जाति धाकड निवासी संग्रामपुरा तहसील देवली, जिला टोंक राज0
2. लादी पुत्री भंवरलाल पत्नि गोपाल जाति धाकड निवासी संग्रामपुरा हाल निवास भगवानपुरा (थांवला), तहसील देवली, जिला–टोंक राज0
3. शिमला पुत्री भंवरलाल पत्नि सुरेश जाति धाकड निवासी संग्रामपुरा हाल निवास भगवानपुरा, थांवला तहसील देवली, जिला–टोंक राज0
4. हनुमान पुत्र मोतीलाल जाति धाकड निवासी संग्रामपुरा तहसील देवली,जिला टोंक राज0
5. हेमराज पुत्र मोतीलाल जाति धाकड निवासी संग्रामपुरा तहसील देवली, जिला–टोंक राज0
6. तहसीलदार देवली, जिला–टोंक राज0

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री सत्यनारायण धाकड
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 व 4 ता 5
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3
तहसीलदार देवली
अप्रार्थीगण संख्या 6

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) उपधारा (1) एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 600 रकबा 0.48 है. वाके ग्राम संग्रामपुरा पह0 निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। उक्त आराजी पर काश्त करने व आने जाने के लिए हमारे पास (प्रार्थीगण) कोई वैकल्पिक रिकॉर्डेड रास्ता नहीं है इसलिये प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने के लिए रास्ते की सख्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 600 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम संग्रामपुरा एवं खसरा नं0 471 गै0मु0 रास्ता के मध्य अप्रार्थीगण नं. 1 व 5 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 601 रकबा 0.24 है0, खसरा नं. 602 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम संग्रामपुरा में स्थित है। उक्त खसरा नम्बर पर अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 काबिज काश्त है उक्त भूमि

खसरा नं. 601 खसरा नं. 602 के दक्षिण दिशा की तरफ 13 फिट चौडे रास्ते से होकर कदीमी वर्षो से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 600 में आते जाते रहे तथा कृषि कार्य करते रहे है। प्रार्थीगण मात्र उक्त रास्ते से ही अपनी जोत की भूमि पर आते जाते रहें है। उक्त खसरा नं. 601 खसरा नं. 602 में दक्षिण दिशा की तरफ 13 फीट चौडा प्रार्थीगण को रास्ता/नया मार्ग उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक व सुलभ है। प्रार्थीगण की भूमि व गै. मु. रास्ता भूमि के मध्य अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 की भूमि में से प्रार्थीगण को रास्ते दिये जाने पर सबसे कम दूरी पड़ती है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए खसरा नं. 601 खसरा नं. 602 पर अप्रार्थी नं. 1 ता 5 काबिज काश्त होने से आने जाने से रोकते है, तथा रास्ते का अवरूद्ध करते रहते है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 को उक्त रास्ता चाहने बाबत पारम्परिक सहमति से कहा परन्तु अप्रार्थी नं. 1 ता 5 सहमत नही हुये। प्रार्थीगण को रास्ता/नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने से रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी रेट के हिसाब से कीमत अदा करने के लिए तैयार है। उक्त भूमि श्रीमानजी के क्षेत्राधिकारी में होने से प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 600 रकबा 0.48 है0 भूमि वाके ग्राम संग्रामपुरा प. ह. निवारिया तहसील देवली जिला टोंक पर आने जाने के लिए अप्रार्थीगण नं. 1 व 5 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 601 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 602 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम संग्रामपुरा पटवार हल्का निवारिया में से दक्षिण दिशा की तरफ 13 फिट चौड़ा रास्ता/नया मार्ग वैकल्पिक रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई ।

अप्रार्थीगण संख्या 1, 4 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण धाकड़ ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। जवाब इस प्रंकार है:– प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 1 में लिखी गई इबारत में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त में होना स्वीकार है। शेष गलत है एवं अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपनी आराजी खसरा नं. 600 में आने जाने हेतु आराजी खसरा न0 606 गै. मु. रास्ता में से अपने सामलाती कुएं आराजी खसरा नं. 607 के पास में स्थित आराजी खसरा न0 604, 603 व 603/949 में से कदीमी रूप के रास्ते में आते जाते रहे है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में लिखी गई इबारत गलत एवं अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नं. 600 में कदीमी रास्ता जो आराजी खसरा न0 604, 603 व 603/949 में होकर अपने सामलाती कुआं आराजी खसरा नं. 607 के पास में से होकर रिकोर्डेड रास्ता आराजी खसरा नं. 606 में से होकर आते जाते है तथा अपनी जोत को काश्त करते रहे है। लेकिन प्रार्थीगण रंजिशवश जान बुझकर अप्रार्थीगण को हेरान परेशान करने के उद्देश्य से एवं अप्रार्थीगण की जोत को बिगाड़ने के उद्देश्य से मनगढंत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया

है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 में लिखी गई इबारत गलत एवं अस्वीकार है। प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा न0 601, 602 में से कभी आते जाते नही है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 4 में लिखी गई इबारत गलत एवं अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 5 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 6 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण संख्या 6 जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है:– प्रार्थीयान के आराजी खसरा नम्बर 600 रकबा 0.48 है0 पर पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी का अपनी खातेदारी में कृषि कार्य के लिए रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते कि चौडाई खसरा नं0 602 में लम्बाई 22 मी. चौडाई 4 मी. कुल 0.0088 वर्ग. मीटर व खसरा नं. 601 में लम्बाई 23 मी. चौड़ाई 4 मी. कुल 0.0092 वर्गमीटर है। रास्ता चाहे जाने वाली कृषि भूमि ग्राम की आबादी भुमि से 476 मीटर दूर है। जिसकी डीएलसी दर 297609 रु प्रति है0 है, जिसकी एक गुना राशि 5.357 रुपये व दुगनी प्रतिकर राशि 10.714 रूपये बनते है। आवेदन की आराजी नम्बर 600 रकबा 0.48 है0 खातेदार गोपाल पुत्र हरनाथ हिस्सा 1/2 व दुर्गा पुत्र हरनाथ हिस्सा 1/2 जाति धाकड सा. देह स्वयं के खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 601/0.24 है0, 602/0.28 है0 प्रहलाद पुत्र लादी पुत्री व शिमला पुत्री भंवरलाल हि. 1/2 हनुमान हेमराज पुत्र मोतीलाल हि0 1/2 जाति धाकड सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। प्रार्थी अपनी खातेदारी खसरा नम्बर 600 मे आने जाने के लिये अप्रार्थी के ख. नं. 601, 602 से रास्ता चाहते है जिसको नक्शा ड्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, दीवार आदि स्थित नहीं है। अप्रार्थी उक्त रास्ता देने के लिये सहमत नहीं है। अन्य अप्रार्थीगण बाद नोटिस मौके पर नही मिले। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से सम्बंधित नही है। अतः नकल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस व डीएलसी दर की छायाप्रति संलग्न कर श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी को स्वयं की आराजी में पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। अतः रिपोर्ट अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर तस्मीम करवाने के आदेश प्रदान करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ख. नं. 603/949, 603, 604 में से पहले से ही वेकल्पिक रास्ते से आते जाते है। ख. नं. 607 में प्रार्थीगण का शामलाती कुआं है जहां से ख. नं. 603/949,

603, 604 मे से होते हुए अपनी आराजी ख. नं. 600 में आते जाते रहे है और अभी भी आ रहे है। मोके पर रास्ता है। प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने रिब्टल में कथन किया कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता लघुतम रास्ता है और अप्रार्थीगण द्वारा बताये गये रास्ते में दूरी ज्यादा है। तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के ख. नं. 600 मे जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस बाबत् अप्रार्थीगण संख्या 1, 4 ता 5 ने अन्य कोई रास्ता विधिवत तरीके से लघुतम वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं बताया है। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आराजी ख. नं. 600 में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है । अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार देवली की रिपोर्ट व लाल स्याही से दर्शित नक्शा ट्रेस अनुसार वाके ग्राम संग्रामपुरा पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली के खसरा नम्बर 600 में काश्तकारी कार्य हेतु आने जाने के लिए ख. नं. 602 में चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 22 मीटर अर्थात 88 वर्ग मीटर, ख. नं. 601 में चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 23 मीटर अर्थात 92 वर्ग मीटर कुल क्षैत्रफल 180 वर्ग मीटर होगा, उक्त भूमि की डी0एल0सी0 दर 2,97,609/– रू0 प्रति हैक्टेयर के अनुसार कुल क्षैत्रफल 180 वर्गमीटर अर्थात 0.0180 है0 की डी.एल.सी दर से राशि 5, 375 रूपये के अनुसार दुगुनी प्रतिकर राशि 10714/– रूपये अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि से पुनः गणना कर, जमा करे और रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, नक्शा ट्रेस अनुसार मौके पर तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 को उसके हिस्से अनुसार संदाय करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली